कार्यालय डायरेक्टर स्कूल आफ एक्सीलैंस इन पल्मोनरी मेडिसिन

एवं

कार्यालय अधिष्ठाता ने.सु.चं.बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर

फोन नं. 0761- 2670012,14 ई-मेल: director.sepm@mp.gov.in, chest.jabalpur@gmail.com

क्र/स्थाअ राज/एसईपीएम/2022/ 316 जबलपुर,दिनांक 27/04 / 2022

//विज्ञप्ति सूचना//

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक क्रमशः एफ 1-3/2018/55-2 भोपाल दिनांक 26/05/2018 एवं क्रमांक एफ 4-66/2014/55-2 भोपाल दिनांक 26/12/2020 द्वारा परिचारिका, सह-चिकित्सकीय एवं गैर शैक्षणिक संवर्ग की विभिन्न पद स्वीकृत किये गए हैं। उक्त पदों की पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक क्रमशः एफ 2-06/2018/1-55 भोपाल दिनांक 07-04-2018 एवं 20-04-2018 द्वारा स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय आदर्श सेवा नियम 2018 एवं स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय गैर शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 जारी किये हैं। उक्त नियमों के अनुक्रम में स्कूल ऑफ एक्सीलैंस इन पल्मोनरी मेडिसिन ने.सु.चं. बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर हेतु संचालनालय चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक क्रमशः 557/स्था/अराज/2021 भोपाल दिनांक 08/06/2021 द्वारा सह-चिकित्सकीय संवर्ग की अनुसूचियां एवं पत्र क्रमांक 554/स्था/अराज/2021 भोपाल दिनांक 08/06/2021 द्वारा गैर-शैक्षणिक संवर्ग की अनुसूचियां जारी की गयी हैं जिनके आधार पर स्कूल ऑफ एक्सीलैंस इन पल्मोनरी मेडिसिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर की स्थापना के अंतर्गत सह-चिकित्सकीय संवर्ग, गैर-शैक्षणिक संवर्ग एवं परिचारिका संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु संभागायुक्त जबलपुर/अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति से अनुमोदन प्राप्त किया गया है। उपरोक्त के अनुक्रम में एक्स-रे टैक्नीशियन, टीबी एचव्ही, (सह-चिकित्सकीय संवर्ग) एवं डायटीशियन, सोशल वर्कर, सहायक ग्रेड-03, भृत्य (गैर-शैक्षणिक संवर्ग) के रिक्त पदों की पूर्ती हेतु योग्य उम्मीदवारों से विज्ञापन की निर्धारित शर्तों के अधीन एम.पी. ऑनलाईन www.mponline.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवश्यक विवरण इस प्रकार है:

सह-चिकित्सकीय संवर्ग एवं गैर शैक्षणिक संवर्ग के पदों पर आवेदन का प्रारूप एम.पी. ऑनलाईन की वेबसाईट www.mponline.gov.in पर ऑनलाईन उपलब्ध रहेगा तथा आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 24/06/2022 रात्रि 12 बजे तक आवेदन ऑनलाइन भरे जा सकेंगे।

01. पदों का विवरण निम्नानुसार है:- **कुल पद 11**

01. एक्स-रे टैक्नीशियन 03 पद

स.क्र.	श्रेणी	बिना वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		दिव्यांग		योग	रिमार्क
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित	01	-	-	-	-	-	01	निरंक
2	अनुसूचित जाति	-	-	-	-	-	-	-	
3	अनुसूचित जनजाति	01	-	-	-	-	-	01	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	01	-	-	-	-	-	01	
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	-	-	-	-	-	-	-	
योग:-		03	-	-	-	-	-	03	

Scanned with CamScanner

02. टीबी एचव्ही -02 पद

स.क्र.	श्रेणी	बिना वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		दिव्यांग		योग	रिमार्क
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित	01	-	-	-	-	-	01	निरंक
2	अनुसूचित जाति	-	-	-	-	-	-	-	
3	अनुसूचित जनजाति	-	-	-	-	-	-	-	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	01	-	-	-	-	-	01	
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	-	-	-	-	-	-	-	
योग:-		02	-	-	-	-	-	02	

03. डायटीशियन 01 पद

स.क्र.	श्रेणी	बिना वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		दिव्यांग		योग	रिमार्क
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित	01	-	-	-	-	-	01	निरंक
2	अनुसूचित जाति	-	-	-	-	-	-	-	
3	अनुसूचित जनजाति	-	-	-	-	-	-	-	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	-	-	-	-	-	-	-	
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	-	-	-	-	-	-	-	
योग:-		01	-	-	-	-	-	01	

04. सोशल वर्कर -01 पद

स.क्र.	श्रेणी	बिना वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		दिव्यांग		योग	रिमार्क
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित	01	-	-	-	-	-	01	निरंक
2	अनुसूचित जाति	-	-	-	-	-	-	-	
3	अनुसूचित जनजाति	-	-	-	-	-	-	-	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	-	-	-	-	-	-	-	
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	-	-	-	-	-	-	-	
योग:-		01	-	-	-	-	-	01	

01. सहायक ग्रेड-03 -02 पद

स.क्र.	श्रेणी	बिना वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		दिव्यांग		योग	रिमार्क
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित	01	-	-	-	-	-	01	निरंक
2	अनुसूचित जाति	-	-	-	-	-	-	-	
3	अनुसूचित जनजाति	-	-	-	-	-	-	-	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	01	-	-	-	-	-	01	
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	-	-	-	-	-	-	-	
योग:-		02	-	-	-	-	-	02	

Scanned with CamScanner

02. भृत्य -02 पद

स.क्र.	श्रेणी	बिना वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		दिव्यांग		योग	रिमार्क
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला		
1	अनारक्षित	01	-	-	-	-	-	01	निरंक
2	अनुसूचित जाति	-	-	-	-	-	-	-	
3	अनुसूचित जनजाति	-	-	-	-	-	-	-	
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	01	-	-	-	-	-	01	
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	-	-	-	-	-	-	-	
योग:-		02	-	-	-	-	-	02	

2. अर्हताएं

स.क्र.	पद का नाम	वेतन बैंड+ग्रेड-पे (अनुसूची अनुसार)	शैक्षणिक योग्यता
01	एक्सरे टैक्नीशियन	5200-20200+2800	1. बायोलॉजी कैमिस्ट्री तथा फिजिक्स में (10+2) प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12 वी परीक्षा उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्था से रेडियोग्राफर का डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र (डिग्रीधारी को प्राथमिकता)। 3. मध्यप्रदेश सह-चिकित्सकीय परिषद का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
2	टीबी एचव्ही	5200-20200+2400	भारत सरकार के आरएनटीसीपी कार्यक्रम के मापदण्डों के अनुसार निर्धारित योग्यता/अनुभव। 1. आवश्यक अर्हता 1.Graduate OR 2. Intermediate (10 + 2) and experience of working as MPW/LHV/ ANM/ Health worker / Certificate or higher course in Health Education / Counseling OR 3. Tuberculosis health visitor's recognized course 4. Certificate course in computer operations (minimum two months) 2. अतिरिक्त अर्हता Training course for MPW or recognized sanitary inspector's course.
3	डायटीशयन	5200-20200+2800	अर्हता MSc(Food & Nutrition)/MSc in Dietetics + हॉस्पिटल में डाईटीशियन के पद पर दो साल का कार्यनुभव
4	सोशल वर्कर	5200-20200+2100	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मेडिकल सोशल वर्कर की स्नातक उपाधि अथवा एम.एस.डब्ल्यू डिप्लोमा /उपाधि।
5	सहायक ग्रेड-03	5200-20200+1900	1. अभ्यर्थी ने हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उतीर्ण की हो। 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंम्प्यूटर एप्लीकेशन में पत्रोपाधि/प्रमाण-पत्र हो। 3. मध्यप्रदेश शासन द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र (सी.पी.सी.टी.) परीक्षा हिन्दी टंकण के साथ उत्तीर्ण।
6	भृत्य	4440-7440+1300	मान्यता प्राप्त बोर्ड से 8 वी की परीक्षा उतीर्ण।

महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते और अन्य लाभ शासन नियमानुसार लागू होंगे। नियुक्त कर्मचारी पर शासन के निर्देशानुसार नवीन पेंशन योजना प्रभावी होगा।

Scanned with CamScanner

03. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार नियमित पद पर 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जावेगा। परिवीक्षा अवधि में पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।

04. आरक्षण:-

(1) मध्यप्रदेश लोकसेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों एवं मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण क्रमांक 530 प्रकाशन दिनांक 24 दिसम्बर 2019 के अनुसार अभ्यर्थियों के लिए निम्नानुसार आरक्षण लागू किया गया है-

अनुसूचित जनजाति-		20 प्रतिशत
अनुसूचित जाति	-	16 प्रतिशत
अन्य पिछड़ा वर्ग	-	27 प्रतिशत
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	-	10 प्रतिशत

(2) क्षैतिज आरक्षण :-

(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर क्रीमीलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग) एवं महिला के लिए आरक्षण प्रावधान नियमानुसार लागू होंगें। पदों हेतु जातिगत आरक्षण केवल ऐसे अभ्यर्थियों पर लागू होगा, जिनका जाति प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश राज्य के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया हो। भर्ती में आरक्षण बिंदुओ अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग/महिला के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है। पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा। विज्ञप्ति में आरक्षण बिंदुओं को ध्यान में रखा गया है ।

(ख) परीक्षा का अंतिम परिणाम आने के पूर्व भर्ती में आरक्षण के संबंध में यदि म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग/म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा कोई संशोधन किया जाता है तो नवीन संशोधन का पालन किया जाएगा एवं तद्समय लागू आरक्षण अनुसार परीक्षा परिणाम जारी किया जावेगा।

(ग) मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-6-1/2002/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 18 जनवरी 2018 द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गो के लिये आरक्षण) नियम 1988 के नियम -4(ख) में संशोधन कर संशोधन की अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में 16 जनवरी 2018 के अंतर्गत **"4-ख.आदिम जनजातियों के लिये विशेष उपबंध** में यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर की सहारिया/सहरिया आदिम जनजाति, जिला मण्डला, डिण्डौरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनुपपुर की बैगा आदिम जनजाति तथा जिला छिन्दवाड़ा के तामिया विकासखण्ड की भारिया जनजाति का है, संविदा शाला शिक्षक या तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद के लिये या वनरक्षक (कार्यपालिक) के लिये आवेदन कर सकता है और उस पद के लिये विहित की गई न्यूनतम अर्हता रखता है, तो उसे भर्ती प्रक्रिया अपनाए बिना उक्त पद अनुसूचित जनजाति के विरूद् नियुक्त किया जाएगा। जिस हेतु आवेदक ऑफलाईन आवेदन कर सकते है साथ ही जाति प्रमाण पत्र एवं योग्यता संबंधी समस्त दस्तावेज संलग्न करना अति आवश्यक है जिनका आवेदन शुल्क निशुल्क रहेगा। ऑफ लाइन आवेदन की प्रक्रिया सतत रूप से जारी रहती है । उक्त प्रकार से प्राप्त आवेदनों पर यह विज्ञापन जारी होने के पश्चात् भी विचार कर नियुक्ति प्रदान की जा सकती है तथा उक्त के अनुक्रम में विज्ञापित पदों की संख्या में कमी की जा सकेगी। उक्त व्यवस्था अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन प्राप्त होने पर भी लागू होगी।

05. सामान्य शर्तें :-

1. आवेदक की आयु की गणना 01 जनवरी 2022 के आधार पर की जावेगी।

न्यूनतम आयु- 18 वर्ष अधिकतम आयु - मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन के पत्र क्रमांक सी3-8/2016/1/3 दिनांक 04.07.2019 के अनुसार निम्न संवर्गों के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थी की अधिकतम आयु सीमा निम्नानुसार होगी:-

Scanned with CamScanner

- अनारक्षित वर्ग के लिए - **40 वर्ष**
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/ नि:शक्तजन/महिलाओं(अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए - **45 वर्ष**

2. सेवा की अन्य शर्ते नियुक्ति पत्र में दर्शाये अनुसार बंधनकारी होगी।
3. उम्मीदवार को मध्यप्रदेश का नागरिक होना चाहिए, जिसके लिये शासन द्वारा जारी निवास प्रमाणपत्र आवश्यक है।
4. संस्था द्वारा पदों की संख्या में किसी भी स्तर पर परिवर्तन कर सकता है।
5. ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय/अर्धशासकीय/सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत है एवं विज्ञापित पदों हेतु न्यूनतम अर्हता एवं आयु सीमा संबंधी सभी मापदंडों को पूर्ण करते हों उन्हें दस्तावेज सत्यापन के दौरान वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर क्रीमीलेयर) तथा अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें मध्य प्रदेश शासन के वर्तमान प्रचलित नियमों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवास प्रमाण पत्र की एक प्रति दस्तावेज सत्यापन के दौरान जमा करनी होगी तथा शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में निशक्तजन भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र यदि आवश्यक हो।
7. उम्मीदवारों को पूर्ण रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है एवं नियुक्ति के समय मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा स्वस्थ्यता प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
8. स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर द्वारा किसी भी समय किसी भी स्तर पर आंशिक या पूर्ण भर्ती प्रक्रिया को बिना किसी कारण रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में महाविद्यालय / संस्था की कोई जवाबदारी नहीं होगी।
9. नियोक्ता संस्था किसी भी समय किसी भी स्तर पर एक या समस्त आवेदनों को बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
10. नियुक्ति संबंधी कोई भी विवाद माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर में मान्य होगा। चयन प्रक्रिया संबंधी किसी भी विवाद में नियोक्ता संस्था के सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
11. ऐसे आवेदक जिनको दिनांक 26/01/2001 तथा उसके बाद तृतीय बच्चे का जन्म हुआ है, चयन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
12. वैवाहिक स्थिति- एक से अधिक विवाह किए गए उम्मीदवार पात्र नहीं होंगे अगर प्रथम विवाह से विच्छेद न हुआ हो अथवा मृत्यु ना हुई हो।
13. किसी भी पद हेतु आवेदन करने के पूर्व आवेदक विज्ञापन का गहन अध्ययन कर लेंवे।

- लिखित परीक्षा (टीबी एचव्ही/सोशल वर्कर/ डायटीशियन/ एक्सरे टैक्नीशियन) ऑनलाइन आयोजित कराई जावेगी।
- परीक्षा अवधि 02 घंटे की होगी।
- प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में वस्तुनिष्ट प्रश्नों के आधार पर होंगे।
- कोई भी ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा।

06.अनर्हतायें:-

निम्नलिखित मामलों में उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और/या चयन के लिए उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या उसे या तो स्थाई रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए विवर्जित कर दिया जाएगा:-

- जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए परीक्षा अथवा भर्ती में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसके लिए अनुचित प्रयास किया हो या
- प्रतिरूपण(इम्परसोनेशन) किया हो या कराया हो या
- कूट रचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए हो जिनमें फेरबदल किया गया हो या

Scanned with CamScanner

- चयन के किसी भी स्तर पर परीक्षा हेतु दिए गए किसी भी आवेदन/प्रपत्र/अनुप्रमाणन/दस्तावेज में असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई हो या
- परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो या
- परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो या
- परीक्षा संचालन में या साक्षात्कार में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो या किसी तरीके से दुर्व्यवहार किया हो या
- आवेदकों को प्रवेश पत्र में दिए जाने वाले किन्ही निर्देशों या अन्य अनुदेशो (पहचान चिन्ह अंकित करने से संबंधित अनुदेशो को छोड़कर), जिनमें परीक्षा संचालन में लगे कैंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से दी गई हिदायते भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया गया हो या
- मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के नियम के अनुसार नियुक्ति के लिए वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई हो:-
- पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो। इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाएगी ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
    - जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ्य नहीं पाए गए।
    - जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
    - जिसकी दो से अधिक संतान हैं जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है परंतु निरर्हित नहीं होगा यदि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है।
- अभ्यर्थी की केवल वह जन्मतिथि स्वीकार होगी जो हाईस्कूल, हायर सेकेंडरी या किसी अन्य समकक्ष प्रमाण पत्र में उल्लेखित है जो वास्तविक जन्मतिथि का उल्लेख करता है। आवेदन पत्र में एक बार जन्मतिथि का उल्लेख हो जाने पर किसी भी स्थिति में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसा आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे निरस्त आवेदन की फीस वापस किए जाने का दायित्व नहीं होगा।

07. अभ्यर्थी की मानसिक और शारीरिक स्थिति:-

अभ्यर्थी का मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए और उसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे उसके द्वारा विशेष कर्तव्यों का निर्वहन प्रतिकूलतः प्रभावित हो सकता हो, यदि कोई अभ्यर्थी जो ऐसा चिकित्सा परीक्षा के पश्चात जो यथास्थिति, शासन या नियुक्ति प्राधिकारी विहित करें, इन अपेक्षाओं के अनुसार संतोषजनक ना पाया जाए, नियुक्त नहीं किया जायेगा, केवल ऐसे उम्मीदवारों का चिकित्सकीय परीक्षण किया जाएगा, जिनके संबंध में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने की संभावना हो। ऐसे आवेदन जो अपूर्ण है और जो विहित प्रारूप में नहीं है रद्द कर दिए जाएंगे तथा संस्था का विनिश्चय अंतिम होगा।

08. अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण का दावा:-

- आरक्षण का दावा कर रहा अभ्यर्थी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया समुचित और विधिमान्य डिजिटल जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।
- आरक्षण का दावा कर रहे अभ्यर्थी के पास मध्यप्रदेश के किसी भी जिले के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र होगा और वह नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा। यदि अभ्यर्थी ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो ऐसी अभ्यर्थिता या चयन का दावा रद्द हो जाएगा। ऐसे रद्दकरण का दायित्व केवल अभ्यर्थी का होगा।
- ऐसे भूतपूर्व सैनिक को, जो आयु में शिथिलीकरण का दावा कर रहे हैं, उनके मंत्रालय या उस कार्यालय द्वारा जहां अंतिम उपस्थिति दर्ज की हो जारी किया गया मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें पदभार ग्रहण करने की तारीख तथा रक्षा सेवाओं से उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख का उल्लेख हो, यदि उसे मितव्ययिता इकाई द्वारा अधिशेष

Scanned with CamScanner

घोषित करने की अनुशंसा के आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है तो उसके रोजगार कार्यालय में पंजीयन की, यदि कोई हो,सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

09. सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र :-

- पैरामेडिकल के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को न्यूनतम 3 वर्ष की सेवाएं देने हेतु सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र निष्पादित करना होगा। सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र में निहित शर्तों का पालन ना करने पर अभ्यर्थी को अधिष्ठाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर/स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन जबलपुर को ₹50000/- एवं अन्य खर्चे बाकी समयावधि के वेतन के बराबर राशि जमा करनी होगी। यह दे राशि संबंधित से भू राजस्व की बकाया राशि की भांति वसूली योग्य होगी।
- परीवीक्षा की अवधि एवं प्रथम तीन वर्षों में वेतन के संबंध में राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र सी.3-13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12 दिसम्बर 2019 प्रावधान लागू होंगे।

10. सहचिकित्सकीय एवं गैर-शैक्षणिक के पद पर लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु मापदंड:-

- अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यार्थियों को लिखित परीक्षा में न्यूनतम 50 अंक एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, नि:शक्तजनों अभ्यार्थियों हेतु न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- लिखित परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों की प्राविण्य सूची उनके द्वारा प्राप्त अंकों तथा उपरोक्त चयन प्रक्रिया अनुसार श्रेणी वार एमपी ऑनलाइन द्वारा तैयार की जावेगी।
    - प्रावीण्य सूची तैयार करते समय यदि 2 या 2 अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं तो उम्मीदवारों की जन्म तिथि पर विचार किया जावेगा अर्थात अधिक आयु के आवेदक को कम आयु के आवेदक के ऊपर रखा जावेगा। जन्मतिथि समान होने की स्थिति में ऐसे उम्मीदवार को वरीयता दी जावेगी, जिन्होंने आवेदन किए हुए पद हेतु निर्धारित आवश्यक न्यूनतम अहर्ता में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ऐसी स्थिति में जब उपरोक्त दोनों स्थितियां एक से अधिक आवेदन के लिए समान हो तो कक्षा 12वीं में अधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थी को वरीयता दी जावेगी।
    - प्रावीण्य सूची अनुसार दस्तावेज सत्यापन हेतु संवर्गवार पदों की संख्या के अभ्यर्थियों को बुलाया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन में त्रुटि अथवा कमी पाए जाने पर अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त करते हुए प्राविण्य सूची के अनुसार अगले अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया जावेगा।
    - भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत किसी भी उम्मीदवार की दावेदारी पर विचार नहीं किया जाएगा।
    - पाठ्यक्रम अनुसार दो समूह में परीक्षा पृथक-पृथक ली जावेगी जिन समूहों को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है:-

1. **आवेदन शुल्क:- (रूपये में)**

क्र	पदनाम	परीक्षा शुल्क		
		UR /	OBC	ST / SC / EWS
1	एक्स-रे टैक्नीशियन	300 Department Fee & MPOnline Portal Charge Inclusive of GST 800 =1100	200 Department Fee & MPOnline Portal Charge Inclusive of GST 800 =1000	100 Department Fee & MPOnline Portal Charge Inclusive of GST 800 =900
2	टीबी एचव्ही	300 Department Fee & MPOnline Portal Charge Inclusive of GST 800 =1100	200 Department Fee & MPOnline Portal Charge Inclusive of GST 800 =1000	100 Department Fee & MPOnline Portal Charge Inclusive of GST 800 =900
3	डायटीशयन	300 Department Fee & MPOnline Portal Charge Inclusive of GST 800 =1100	200 Department Fee & MPOnline Portal Charge Inclusive of GST 800 =1000	100 Department Fee & MPOnline Portal Charge Inclusive of GST 800 =900
4	सोशल वर्कर	300 Department Fee & MPOnline Portal Charge Inclusive of GST 800 =1100	200 Department Fee & MPOnline Portal Charge Inclusive of GST 800 =1000	100 Department Fee & MPOnline Portal Charge Inclusive of GST 800 =900
5	सहायक ग्रेड-03	200 Department Fee & 170 + 18 % GST MPOnline Poratl Charge=400	200 Department Fee & 170 + 18 % GST MPOnline Poratl Charge=400	100 Department Fee & 170 + 18 % GST MPOnline Poratl Charge=300
6	भृत्य	200 Department Fee & 170 + 18 % GST MPOnline Poratl Charge=400	200 Department Fee & 170 + 18 % GST MPOnline Poratl Charge=400	100 Department Fee & 170 + 18 % GST MPOnline Poratl Charge=300

Scanned with CamScanner

12. चयन प्रक्रिया-

क्र	पदनाम	संवर्ग	चयन प्रक्रिया
1	एक्स-रे टैक्नीशियन	सह-चिकित्सकीय संवर्ग	1. एमपी ऑनलाईन द्वारा परीक्षा लेकर मेरिट सूची तैयार किया जाना है। 2. विभिन्न अनारक्षित/आरक्षित रिक्त पदों की संख्या में 10 गुना की संख्या से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त हो जाते हैं तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट धारी आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। 3. शासन का आदेश क्रमांक एफ 2-20/2020/1/55 भोपाल दिनांक 17/11/2020 के परिप्रेक्ष्य में पैरामेडिकल संवर्गों हेतु प्रथमतः शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में सम्मिलित पैरामेडिकल कोर्सेस से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
2	टीबी एचव्ही	सह चिकित्सकीय संवर्ग	एमपी ऑनलाईन द्वारा परीक्षा लेकर मेरिट सूची तैयार किया जाना है।
3	डायटीशियन	गैर शैक्षणिक संवर्ग	एमपी ऑनलाईन द्वारा परीक्षा लेकर मेरिट सूची तैयार किया जाना है।
4	सोशल वर्कर	गैर शैक्षणिक संवर्ग	एमपी ऑनलाईन द्वारा परीक्षा लेकर मेरिट सूची तैयार किया जाना है।
5	सहायक ग्रेड-03	गैर शैक्षणिक संवर्ग	एमपी ऑनलाईन द्वारा प्रोराटा के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जाना है।
6	भृत्य	गैर शैक्षणिक संवर्ग	एमपी ऑनलाईन द्वारा प्रोराटा के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जाना है।

विज्ञापित पदों हेतु अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा/ प्रोराटा (ऊपर दी गई स्थिति अनुसार में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीन्य सूची अनुसार तथा नियुक्ति पूर्व दस्तावेज सत्यापन उपरांत किया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन में त्रुटि पाए जाने पर या जानकारी असत्य या त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर चयन के किसी भी स्तर पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ऑनलाइन परीक्षा एमपी ऑनलाइन के अनुसार निर्धारित शहरों में आयोजित की जावेगी। प्राविण्य सूची के आधार पर सफल अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पलमोनरी मेडिसिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के कार्यालय में आमंत्रित किया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन के समय शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता संबंधी समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी। लिखित परीक्षा की तिथि की सूचना अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचित की जावेगी, जो कि अभ्यर्थी केवल एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट www.mponline.gov.in से डाउनलोड करेंगे। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर प्रत्येक पद हेतु एमपी ऑनलाइन द्वारा प्रथक-प्रथक प्राविण्य सूची तैयार की जाएगी।

13. सह-चिकित्सकीय एवं गैर-शैक्षणिक संवर्ग के पदों पर आवेदन संबंधी समय तालिका :-

क्रमांक	गतिविधि	तारीख
1	आनलाईन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि	25/05/2022
2	आनलाईन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	24/06/2022
3	परीक्षा तिथि	
4	परीक्षा हेतु निर्धारित शहर	

14. आवेदन कैसे करें:-

1- कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानी पूर्वक निर्देशों को पढ़ लें।

2- आवेदन पत्र एमपी ऑनलाइन www.mponline.gov.in की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

3- आवेदन के साथ दस्तावेजों की निम्नलिखित स्कैन की गई प्रतियां उम्मीदवार द्वारा अपलोड किया जाना अनिवार्य है:-

1) जन्मतिथि के समर्थन में हाई स्कूल परीक्षा मार्कशीट/सर्टिफिकेट/जन्म प्रमाण पत्र
2) आवेदित पद हेतु निर्धारित अहर्ता के समर्थन में संबंधित डिग्री अथवा डिप्लोमा
3) मध्य प्रदेश पैरामेडिकल/फार्मेसी काउंसिल से जीवित रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट।
4) 12वीं कक्षा की अंकसूची (बायोलॉजी विषय से उत्तीर्ण)
5) जाति प्रमाण पत्र एवं मध्य प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र

Scanned with CamScanner

6) पहचान संबंधी आधार/पेन/पासपोर्ट/लाइसेंस/वोटर कार्ड अथवा अन्य
7) EWS/OBC के संबंध में क्रीमीलेयर/अन्य संबंधी प्रमाण पत्र
8) दिव्यांग/पूर्व सैनिक के संबंध में प्रमाण पत्र

प्रत्येक दस्तावेज फोटो एवं सिग्नेचर सहित 200 के.बी. आकार से अधिक ना हो।

4- **ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी**

आवेदन पत्र एमपी ऑनलाइन www.mponline.gov.in दिए गए लिंक पर उपलब्ध है। परीक्षा आवेदन फार्म ऑनलाइन मध्य प्रदेश के जिला, तहसील एवं ब्लॉक एवं कुछ ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्को के माध्यम से भरा जा सकता है। एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्को की सूची के लिए एमपी ऑनलाइन www.mponline.gov.in पर अधिकृत किओस्क लिस्ट लिंक देखें। आवेदक इंटरनेट कैफे के माध्यम से या घर बैठे स्वयं भी अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।

5- **इंटरनेट कैफे या स्वयं घर बैठे कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधिः-**

- आवेदक एमपी ऑनलाइन www.mponline.gov.in वेबसाइट के माध्यम से होम पेज में नागरिक सेवाएं ऑप्शन पर क्लिक करें फिर ड्रॉपडाउन लिस्ट से आवेदन ऑप्शन पर क्लिक करके पश्चात स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पलमोनरी मेडिसिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के लोगों पर क्लिक कर एप्लीकेशन एंड सर्विसेज ऑप्शन में उपरोक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए दी हुई लिंक पर क्लिक करें।
- आवेदक ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले विज्ञप्ति को एमपी ऑनलाइन www.mponline.gov.in के माध्यम से या संस्था की वेबसाइट www.nscbmc.ac.in दिए गए लिंक से दी गई जानकारी और शर्तो को अच्छी तरह से पढ़ लें इसके उपरांत ही ऑनलाइन आवेदन करने के लिए फॉर्म पर क्लिक करें। इसके उपरांत आवेदक को स्क्रीन पर ऑनलाइन फॉर्म दिखाई देगा। आवेदक द्वारा फॉर्म में मांगी गई समस्त जानकारियां सही सही भरना अनिवार्य है। आवेदक को फार्म पृष्ठ पर नीचे की ओर एक बटन ब्राउस दिखाई देगा जिसमें आवेदक को अपना नवीन रंगीन फोटो हस्ताक्षर सहित अटैच करना है।इस बटन के नीचे आवेदक को फोटो हस्ताक्षर के साथ (प्रारूप हेतु इस लिंक पर क्लिक करें) दिखाई देगी हाईपर लिंक को क्लिक करने पर हस्ताक्षर सहित फोटो के फॉर्मेट का प्रिंट लेकर उचित स्थान पर फोटो चिपकाकर उसके नीचे हस्ताक्षर करें। इसके उपरांत उक्त फॉर्मेट को स्कैन कर जेपीजी 200 केबी साइज और मिनिमम फॉर्मेट में ही सेव। अब आवेदक ब्राउज बटन पर क्लिक करें इसके उपरांत जिस डायरेक्टरी में आवेदक ने अपना फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर सेव किया है उस डायरेक्टरी से अपना फोटो हस्ताक्षर सिलेक्ट कर अटैच करें।
- आवेदक ऑनलाइन फॉर्म को पूर्ण रूप से भरने के बाद उसे अच्छी तरह से पढ़ ले और ये सुनिश्चित कर ले की फॉर्म में जो भी जानकारी भरी गई है वह सही है। यदि फॉर्म में कोई गलत जानकारी भर दी गई है तो पुनः उसे ठीक कर ले इसके उपरांत सबमिट बटन दबाएं इससे आवेदक को एक आवेदन फॉर्म नंबर प्राप्त होगा इसके उपरांत आवेदक परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए प्रोसेस टू पेमेंट बटन दबाएगा तो उसे परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु दो ऑप्शन दिखाई देंगे।

अ. **क्रेडिट/डेबिट कार्ड ब. इंटरनेट बैंकिंग**

1. क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान:- आवेदक किसी भी इंटरनेट कैफे या घर बैठे भी स्वयं इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर द्वारा अपना फॉर्म भर सकता है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदक द्वारा फॉर्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिए प्रोसेस टू पेमेंट बटन दबाने पर कंप्यूटर स्क्रीन पर संबंधित बैंक का पेमेंट गेटवे दिखाई देगा। इसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भरने के उपरांत कंफर्म बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। आवेदक को परीक्षा शुल्क भुगतान की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद कंप्यूटराइज़्ड रसीद प्राप्त होगी जिस पर उसकी ट्रांजैक्शन संबंधी जानकारी भी अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को संभाल कर रखें।
2. इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान:- आवेदक चाहे तो स्वयं घर बैठे इंटरनेट या इंटरनेट कैफे के माध्यम से कंप्यूटर द्वारा अपना फॉर्म भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग सुविधा से कर सकता है। इसके लिए आवेदक के पास नेट बैंकिंग सुविधा अथवा यूपीआई सुविधा होना अनिवार्य है। आवेदक ऑनलाइन फॉर्म भरने के उपरांत प्रोसेस टू पेमेंट बटन दबाएगा यहां पर उसे इंटरनेट बैंकिंग ऑप्शन दिखाई देगा इसे क्लिक करने पर वह अपने बैंक द्वारा प्रदान यूजर आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन होगा। इस प्रक्रिया से आवेदक अपने बैंक अकाउंट से शुल्क का भुगतान कर सकता है सफलतापूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आवेदक को स्क्रीन पर पावती नंबर और आवेदक का विवरण दिखाई देगा इसका प्रिंट अवश्य लें।

6-एमपी ऑनलाइन किओस्क के माध्यम से आवेदन भरने की विधिः-

Scanned with CamScanner

आवेदन ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए अपने नजदीकी एमपी ऑनलाइन के अधिकृत के ऊपर जावेगा कियोस्क संचालक www.mponline.gov.in वेबसाइट ओपन कर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन टाइप में सिलेक्ट कर लॉगिन करेगा इसके उपरांत सिटीजंसर्विसेज में जाकर एप्लीकेशन में सर्वप्रथम फॉर्म भरने संबंधी निर्देश और जानकारियां आवेदक को उपलब्ध कराएगा आवेदक इन्हें सावधानी पूर्वक पढ़ लेता कि चाही गई जानकारी से भरी जा सके इसके उपरांत आवेदक को अपनी समस्त जानकारी उपलब्ध कराकर फॉर्म भर वाले एवं साथ में अपना नवीन रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो अवश्य ले जावे आवेदक का फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर उचित स्थान पर अटैच करेगा फार्म भरने के उपरांत आवेदक ऑनलाइन फॉर्म में भरी गई समस्त जानकारियां सही-सही भरी होने के उपरांत ही क्यों संचालक को प्रोसेस टू पेमेंट बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान करने को कहें आवेदक कियोस्क संचालक को परीक्षा शुल्क भुगतान करेगा क्यों संचालक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कंप्यूटराइज रसीद आवेदक को प्रदान करेगा इस रसीद में परीक्षा शुल्क की पूरी जानकारी अंकित रहेगी साथ ही आवेदक से संबंधित पूर्ण जानकारी भी रसीद में अंकित होगी इस रसीद को ध्यान पूर्वक पढ़ लें तथा अपने पास संभाल कर रखें।

7- जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व होगा आवेदक का होगा असत्यया गलत जानकारी ऑनलाइन आवेदन में देने पर संबंधित आवेदक की पात्रता निरस्त की जा सकेगी।

8- यदि आवेदक के पास क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं हो नहीं है तो भरे गए फॉर्म का कि उस के माध्यम से Pay for unpaid Application लिंक द्वारा परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर सकेगा परीक्षा शुल्क का भुगतान प्रत्येक आवेदक को करना अनिवार्य है।

9- इसके लिए आवेदक को उपरोक्त बताए गए बिंदु में दर्शाई गई विधि अनुसार फार्म भरने के उपरांत अपने नजदीक में स्थापित एमपी ऑनलाइन के अधिकृत किओस्क पर जाकर भरे गए फॉर्म का आवेदन क्रमांक एवं अपनी जन्मतिथि कियोस्क संचालक को बताना होगा इसके उपरांत क्यों संचालक पर फौरन पर एप्लीकेशन में उक्त जानकारियां भरकर फॉर्म ओपन कर लेगा इसके उपरांत प्रोसेस टू पेमेंट बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देगा शुल्क भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर क्यों संचालक आवेदक को कंप्यूटराइज्ड रसीद प्रदान करेगा इस रसीद में परीक्षा शुल्क की जानकारी के साथ आवेदक से संबंधित समस्त जानकारी अंकित होगी आवेदक इस रसीद को संभाल कर रखें ऑनलाइन पेमेंट करने पर यदि पेमेंट रिजेक्ट हो जाता है पेमेंट रसीद जनरेट नहीं हो रही है तो तत्काल पुनः पेमेंट कर रसीद जनरेट कर सुरक्षित रखें पेमेंट के अभाव में आवेदन स्वता निरस्त हो जाएगा।

ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर एमपी ऑनलाइन के पास डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा परीक्षा शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का बैंक ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा ऐसा करने पर इन्हें मान्य ना करते हुए निरस्त कर दिया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की हिमानी जावेगी।

नोटः- यदि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाए गए दूरभाष नंबर पर तत्काल संपर्क करें एवं समस्या का समाधान ना होने पर एमपी ऑनलाइन के होम पेज पर संपर्क करें में क्लिक करें तथा शिकायत विकल्प में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं एमपी ऑनलाइन लिमिटेड तीसरा फ्लोर स्टेट आईटी पार्क अब्बास नगर नियर आरजीवीवी गाँधी नगर भोपाल 462033 फोन नं. 0755:8720200, 0755:6720222

15. महत्वपूर्ण टीप :-

यह उम्मीदवारों के हित में है कि वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉजेल जबलपुर की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें एवं महत्वपूर्ण सूचना व निर्देशों पर ध्यान दवें इस संबंध में महाविद्यालय की कोई जवाबदारी नहीं होगी यदि आवेदक समय-समय पर महाविद्यालय द्वारा जारी महत्वपूर्ण सूचना एवं निर्देशों का अवलोकन करने में असफल होता है तो उसकी दावेदारी मान्य नहीं की जाएगी साथ ही आवेदक द्वारा आवेदन पत्र सही भरा जाना चाहिए एवं किसी भी जानकारी को छुपाया नहीं जाना चाहिए यदि भविष्य में पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार का चयन उसके द्वारा प्रस्तुत गलत जानकारी के आधार पर हुआ है तो ऐसे उम्मीदवार की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी एवं तदनुसार उस के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी नवीन सूचनाओं हेतु महाविद्यालय की वेबसाइट www.nscbmc.ac.in का अवलोकन निरंतर करते रहें ।

26/04/22

डायरेक्टर
स्कूल ऑफ एक्सीलैंस इन पल्मोनरी मेडिसिन
नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर

Scanned with CamScanner